UPST010022952026

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03 सुलतानपुर।

उपस्थितः निशा सिंह, एच०जे०एस०

(J.O. Code– UP 6321)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–688/2026

अविनाश सिंह सुत शेरबहादुर सिंह,
निवासी ग्राम लतीफपुर, थाना–कोतवाली शाहगंज, जनपद–जौनपुर।

---------- **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र०राज्य .....**विपक्षी/अभियोगी**

मुकदमा अपराध सं०–34/2026,
धारा–305, 317(2), 331(4) बी०एन०एस०,
थाना–अखण्डनगर, जिला–सुलतानपुर।

दिनांक–24.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अविनाश सिंह की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री रामजीत दूबे द्वारा थाना अखण्डनगर जिला सुलतानपुर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह ग्राम विलवाई, पोस्ट–गालिवपुर, थाना–पवई, जनपद–आजमगढ़ का निवासी है। वह श्री शिवधाम आटो सेल्स नाम से विलवाई, कलान के समीप शोरूम खोल रखा है। दिनांक 01–02–2026 की रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पहले सी०सी०टी०वी० का तार काटकर, खिड़की तोड़कर शोरूम में घुसकर कुछ सामानों की चोरी की गयी। चोरी की हुई सामान की कुल कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच है। इसमें 50 टायर, 30 बैटरी, 25 चैनसेट, 30 हैण्डिल लाक, 9 पेटी मोविल एवं साथ ही साथ लाकर ले गये, जिससे करीब 12,000/– रुपये नगद था एवं दयाशंकर द्वारा दिया गया बड़ौदा यू०पी० बैंक का चेक था। चेक नं०–000094 है। जिसको उसने बैंक द्वारा सूचना देकर रोक लगवा दी है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को उक्त अभियोग में फर्जी फंसाया गया है। एफ०आई०आर० में नाम नहीं है। प्रार्थी के पास से चोरी की सामाग्री की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो बरामदगी पुलिस ने दिखाया है उसकी वीडियो नहीं बनाया,जो फर्जी है। प्रार्थी पढ़ाई कर रहा है तथा कम्पटीटिव एक्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा है, इस प्रकार से पुलिस ने प्रार्थी के कुछ घरेलू गांव के दुश्मनों की पैरवी से प्रार्थी का नाम उक्त अभियोग में फर्जी डलवा दिया है, जबकि प्रार्थी ने कोई भी आपराधिक कार्य नहीं किया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त अभियोग मजिस्ट्रेट के द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी दिनांक 28.02.2026 से जेल में है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के शोरूम में लगे सी०सी०टी०वी० का तार काटकर, खिड़की तोड़कर शोरूम में घुसकर कुछ सामानों की चोरी कर लिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर वादी मुकदमा के शोरूम में लगे सी०सी०टी०वी० का तार काटने, खिड़की तोड़कर शोरूम में घुसकर कुछ सामानों व बैंक का चेक की चोरी किये जाने का आक्षेप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है। कथित फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के पास से मात्र 100/– रुपये बरामद होना तथा मोटरसाइकिल पर पीछे रखे बोरे में 38 पीस मोबीआयल डिब्बे भिन्न कम्पनी के जिसमें TVS TRU4 के 32 पीस, HONDA के 4 पीस, ULTRA 4T के 2 पीस बरामद होना बताया गया है। सह–अभियुक्त आशू गौड़ की निशादेही पर 18 अदद टायर बरामद होना कहा गया है। कथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 28.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

7. अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अविनाश सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु0 75,000/– (पिचहत्तर हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक स्थानीय जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

1– अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगा।

2– अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

3– अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(निशा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–03, सुलतानपुर।
(J.O. Code– UP 6321)

दिनांक–24.03.2026
Dinesh Kumar
(Steno)

Digitally signed by NISHA SINGH
Date: 2026.03.28 11:54:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court